सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

25/7/23 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उपस्थित।

अंतिम बहस पूर्व दिनांक 20/7/23 ई

को सुन चुकी है। प्रार्थीगण ने दो नजीर

पेश की। अप्रार्थी ने एक नजीर

श्री राम साहू vs विनोद कुमार रावत के

प्रकरण के माननीय उच्च न्यायालय

द्वारा पारित ~~आदेश~~ निर्णय सिविल अपील

नंबर 3601/2020 पेश की।

मैंने उभय पक्षों की बहस सुनी।

प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के O-47-R-1

के प्रावधान अनुसार निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु व्यक्ति

ही आवेदन कर सकता है ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
25/7

ऐसी कोई डिक्री या आदेश जिसकी अपील
अनुज्ञात है परन्तु अपील नहीं की गई हो,
ऐसा कोई आदेश जिसकी अपील अनुज्ञात
नहीं है और उस आदेश से अपने को
व्यथित समझता है और जो ऐसी नई या
महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलने पर
जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस
डिक्री या आदेश पारित किया गया हो उसके
ज्ञान में नहीं था अथवा पेश नहीं किया जा सकता था।
या भूल या गलती के कारण अभिलेख के
देखने से ही प्रकट होती हो। या अन्य किसी
पर्याप्त कारण से उसके विरुद्ध पारित आदेश
या डिक्री के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर
सकेगा। उभय पक्षों बहस के दौरान अधिवक्ताओं की
बहस इस बिन्दु पर केन्द्रित थी कि प्रार्थी की भूमि
तक जाने हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता कौनसा है/था.
इस तथ्य के संबंध में न्यायालय अपना मत पूर्व
आदेश जिसके पुनर्विलोकन के लिए यह प्रार्थना पत्र
पेश किया गया है मैं स्पष्ट रूप से जाहिर कर
चुका हूँ जबकि पुनर्विलोकन का दायरा मुख्यतय:
ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख के देखने से
ही प्रकट होती हो तक ही सीमित है। वर्तमान प्रकरण
में जिस आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र
पेश किया है में न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से
अंकित किया है कि कौनसा न्यूनतम दूरी का रास्ता है। ... प्रकट होती
ऐसी कोई गलती या भूल जो अभिलेख ... है। अतः
हो न्यायालय द्वारा किया जाना ...
याचिका खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से दफ्तर हो।

महायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)
25/7

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested